DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY; In my district, people were enjoying the privilege of having this subsidy...(*Interruptions*)... I request that the backward districts be covered by the Investment Subsidy Scheme. Will the hon. Minister assure us on this point?

SHRI AJIT SINGH; If the backward districts come under the new scheme, it will definitely cover those districts.

MR. CHAIRMAN; Yes, Mr. Shah

SHRI VIREN J. SHAH; Sir, the honourable Minister has talked about district-level committees. I would like to know about Silvasa..(*interruptions*)..

MR. CHAIRMAN; Question Hour is over. Now, Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Infant motality rate

*164. *SHRI SHIV PRATAP MISHRA:* Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that approximately 290 infants below one year of age die every day and one lakh every year in West Bengal;

(b) what are the estimated figures in this behalf for the whole country; and

(c) what steps Government are taking for effective implementation of immunisation programmes to reduce the infant mortality rate in the country?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHAMMED KHAN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

On the basis of data gathered through Sample Registration Syetem of Registrar General of India, the infant mortality rate for West Bengal in 1988 is estimated to be 70 per thousand live births while for the country as whole it is 94 per thousand live births. This implies that there are 1.15 lakh infant deaths annually (or 315 per day) in West Bengal while for the country as a whole, the estimated number of infant deaths is nearly 21.46 lakh every year (or about 5900 per day).

There are several causes of infant mortality which include prematurity, low birth weight, birth injuries and birth asphyxia, respiratory infections and congenital malformations, dehydration due to diarrhoea, malnutrition and vaccine preventable diseases. Government have taken several measures to ensure effective implementation of immunization programme, including antenatal, natal and post-natal care through a net-work of health sub-centres, Primary Health Centres, community health centres and other health institutions located in rural and urban areas. It has been particularly ensured there is adequate supply of vaccines and cold chain equipment including needles and syringes, sterlisation equipment and refrigerators. Training of health staff regular field monitoring and surveillance and involvement of voluntary non-Government Organisations has received particular attention.

कारखानों तथा विद्युत उत्पादक प्रतिष्ठानों को निर्धारित मात्रा में कोयले की पूर्ति

*166. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न कारखानों और विद्युत उत्पादक प्रतिष्ठानों को निश्चित अवधि के दौरान निर्धारित मात्रा में कोयले की पूर्ति की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात की कपड़ा मिलों तथा विद्युत उत्पादक प्रतिष्ठानों को गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, कितनी मात्रा में कोयले की पूर्ति की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष के आरम्भ में इन प्रतिष्ठानों को कोयले की पूर्ति उनके लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार नहीं की जा सकी ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और पूर्ति कम करने के क्या कारण हैं तथा पूर्ति में कब तक सुधार हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कोयला विभाग की अल्पावधि स्थायी संयोजन समिति द्वारा प्रत्येक तीन महीने के लिए ताप विद्युत गृहों की कोयला संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है । कपड़ा मिलों को कोयले की आपूर्ति प्रायोजन प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार की जाती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में स्थित ताप विद्युत गृहों और कपड़ा मिलों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा अनुपत्र में दी गई है । (देखिए परिशिष्ट 154, अनुपत्र सं० 35)

(ग) जनवरी-मार्च, 1990 के दौरान गुजरात के ताप विद्युत गृहों को कोयला आपूर्ति की संतोषप्रदत्ता इन ताप विद्युत गृहों को प्रदत्त तिमाही संयोजन का 77 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान संयोजन समग्र संतोषप्रदत्ता स्तर का 78.6 प्रतिशत था । यद्यपि विद्युत गृहों में कोयले की प्राप्ति में वृद्धि हुई । संतोषप्रदत्ता प्रतिशत में थोड़ी कमी आने का कारण पिछली तिमाही के 9.1 लाख टन प्रति माह के संयोजन में काफी वृद्धि करके 10.9 लाख टन प्रति माह कर दिया गया था । इस अवधि के दौरान कपड़ा मिलों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा पिछले दो वर्षों की इसी अवधि में आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा की तुलना में कम रही है ।

(घ) कोयला की उपलब्धता और रेल परिवहन क्षमता की तुलना में वरीय उपभोक्ताओं द्वारा सा.ई.को.लि. और वे.को.लि. में स्थित इन कोयला क्षेत्रों से कोयले की ज्यादा मांग किए जाने के कारण रेल द्वारा कपड़ा मिलों को (जिनकी वरीयता अपेक्षाकृत कम है) कम मात्रा में कोयला भेजा गया । हालांकि रेल द्वारा आपूर्ति में कमी को पूरा किए जाने के लिए इन कपड़ा मिलों को सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति ऐसे मामलों में की गई जहां रेल द्वारा आपूर्ति किए जाने के कार्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सका ।

सीमेंट के मूल्यों को कम किया जाना

***167. श्री गुफरान आजम :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट उत्पादकों से कहा है कि वे सीमेंट के बढ़े हुए मूल्यों को कम करके उन्हें उस मूल्य स्तर पर लाएं जो 31 मार्च, 1990 को विद्यमान था;

(ख) यह भी सच है कि दिसम्बर 1989 से जनवरी, 1990 के बीच की अवधि के दौरान सीमेंट की प्रत्येक बोरी का मूल्य 62 रुपये और 75 रुपये के बीच था;

(ग) यदि हां,तो उत्पादकों को सीमेंट के मूल्यों को उस स्तर तक कम करने के लिये न कहे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) प्रति टन सीमेंट के उत्पादन से संबंधित कच्चे माल, प्रबन्ध कर, बिजली पैकिंग और ढुलाई आदि जैसे आदानों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार सीमेंट के मूल्यों को और कम करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?